FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0150 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/06/2026 13:40 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/05/2026 **Date To (दिनांक तक):** 05/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:25 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/06/2026 **Time (समय):** 13:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/06/2026 13:40:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** SALARIYA ROAD SEDAVA, JILA BADMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MASARARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NARSIRAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DHUMBARIYA, BAGORA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DHUMBARIYA, BAGORA, JALORE, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DHANRAJ		पिता:POORARAM	1. KISHAN KESARI SCHOOL KE PASS,JAT COLONY,BARMER,BARMER,RA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		18,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 18,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा। विषयः- रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकडवाने बावत। महोदय, निवेदन मुझ प्रार्थी मसराराम पुत्र नरसीराम जाति कलवी निवासी धुम्बडिया तहसील बागोडा जिला जालौर का इस प्रकार है कि मैंने स्वंय ने करीब 3-4 साल पूर्व ग्राम बीसासर तहसील सेडवा जिला बाडमेर में खेत खसरा संख्या 529/212 रकबा 2.8247 हैक्टेयर खरीदा था। जिसकी नेखमबंदी हेतु मैंने श्रीमान एसडीएम कोर्ट सेडवा में बाद दायर किया था जिस पर श्रीमान एसडीएम साहब ने दिनांक 13.02.2024 नेखमबंदी हेतु आदेश जारी किया था व श्रीमान तहसीलदार साहब सेडवा को कमीशनर नियुक्त किया गया था परन्तु मैं स्वंय घरेलु परिस्थितियो के कारण वापस बीसासर जाकर नेखमबंदी नही करवा पाया था। अब मुझे नेखमबंदी करने की आवश्यकता होने से मैंने एसडीएम साहब सेडवा व तहसीलदार साहब सेडवा से निवेदन किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब सेडवा ने पटवारी हल्का बीसासर/आर.आई सारला को नेखमबंदी करने हेतु दिनांक 22.05.2026 को आदेशित किया। उक्त आदेश को लेकर मैं स्वंय उसी रोज आर.आई धनराज के सरकारी आवास सेडवा पर गया तथा आदेश की कॉपी दी तथा आर.आई. से नेखमबंदी करने हेतु निवेदन किया तो नेखमबंदी हेतु 40 हजार रूपये रिश्वत की राशि की मांग की तथा बताया कि इसमें मैं तथा पटवारी अजयकुमार मीना बीसासर दोनो आपस में सलट लेंगे व नेखमबंदी करने हेतु जो कम्प्युटर वाला आयेगा, उसको अलग से आपको 05 हजार रूपये देने होंगें। उपर नीचे करके 32 हजार रूपये मंे नेखमबंदी करने की बात आर.आई. धनराज ने तय की। मैंने उसी समय धनराज आर.आई को 07 हजार रूपये नेखमबंदी करने हेतु दे दिये तथा शेष राशि 25 हजार रूपये की और मांग कर रहा है। कहता है कि रूपये पंहुचाने पर ही तेरा काम होगा। जान-बूझकर आर.आई धनराज नेखमबंदी करके आदेश की पालना नही करवा रहा है। रिश्वती राशि नही देने के कारण देरी कर रहा है। मैं मेरे जायज काम के लिये रिश्वत नही देना चाहता हूं। उक्त आर.आई. धनराज को मैं रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। उक्त आर.आई से मैं पूर्व से परिचित नही हूं तथा ना ही हमारा कोई लेन-देन बकाया है व ना ही कोई रंजिश है। अतः रिपोर्ट पेश कर निवेदन है कि उचित कानूनी कार्यवाही करावे। दिनांकः-28.05.2026 संलग्नः-1. आधार कार्ड प्रार्थी मसराराम 2. एसडीएम कोर्ट सेडवा व तहसीलदार सेडवा नेखमबंदी आदेश 3. प्रार्थी द्वारा नेखमबंदी आदेश की पालना हेतु पेश रिपोर्ट एसडी छगनलाल, 05.06.2026 एसडी नवीन परिवाहर 05.06.2026 भवदीय, एसडी मसराराम मसराराम पुत्र नरसीराम जाति कलवी निवासी धुम्बडिया तहसील बागोडा जिला जालौर राज0 मोबाईल नम्बर- कार्यवाही पुलिस एसीबी चौकी बालोतरा दिनांक 28.05.2026 समय 04ः00 पीएम- इस समय परिवादी श्री मसराराम पुत्र नरसीराम जाति कलबी उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम धुम्बडिया पुलिस थाना बागोडा जिला जालौर ने उपस्थित कार्यालय होकर उक्त हस्तलिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं परिवादी से पूछताछ करने पर मामला भ्रष्टाचार निवारण अधि0 19ः88 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने पर नियमानुसार अग्रिम विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। एसडी मसराराम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बालोतरा दिनांक 28.05.2026 को समय 04.30 पीएम पर कार्यालय मालखाना से एचएम दीनाराम हैड कानि0 03 ने निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कॉर्ड के मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया जिसे ऑपरेट करने बावत हाजिर परिवादी श्री मसराराम को समझाईस की जाकर कार्यालय हाजा के श्री गुलाब सिंह कानि0 न0 140 को कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी से परस्पर परिचय करवाकर इनके मोबाईल नम्बरो का परस्पर आदान-प्रदान करवाया गया। परिवादी के रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने बावत एक बार पुनः परिवादी व श्री गुलाब सिंह कानि0 को समझाईस की गई। कार्यालय से कार्यवाही स्थल की दूरी ज्यादा होने व शाम का समय हो जाने के कारण परिवादी श्री मसराराम को कल दिनांक 29.05.2026 को सुबह के समय गुलाबसिंह कानि0 से सम्पर्क करने की हिदायत कर रूखसत किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कॉर्ड के वापस मालखाना जमा करने हेतु दीनाराम हैड कानि0 03 को सुपुर्द किया गया। दिनांक 29.05.2026 समय 07.00 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दीनाराम हैड कानि0 03 से मालखाना में जमा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कॉर्ड के प्राप्त कर गुलाब सिंह कानि 140 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत देकर परिवादी श्री मसराराम से सम्पर्क कर गोपनीय सत्यापन करने हेतु सेडवा की तरफ रवाना किया गया। समय 05.45 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उपस्थिति के दौरान वक्त 05.45 पीएम पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन

हेतु गये हुये गुलाब सिंह कानि 140 ने मोबाईल कॉल कर बताया कि श्रीमानजी के निर्देशानुसार गुडामालानी पंहुचा पूर्व से पाबंदशुदा परिवादी मसराराम अपनी मोटरसाईकिल के साथ हाजिर मिला। गुडामालानी से परिवादी की मोटरसाईकिल पर सेडवा के लिये रवाना होकर सेडवा पंहुचे। सेडवा पंहुचकर तहसील कार्यालय के बाहर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उसे ऑपरेट करने की समझाईस कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी को सुपुर्द किया जाकर परिवादी को आरआई के निजी आवास तहसील परिसर के पीछे सेडवा की तरफ रवाना किया, मैं अपनी उपस्थिति छिपाते हुये वंही पास में खडा रहा। कुछ देर बाद परिवादी ने तहसील परिसर के पीछे की तरफ आरआई के निजी आवास से वापस आकर मुझ कानि0 गुलाब सिंह को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड के दिया जिसे मैने स्वीच ऑफ किया एवं परिवादी ने मुझ कानि0 गुलाब सिंह को बताया कि आरोपी आवास पर उपस्थित नही है, परिवादी द्वारा मन कानि0 के समक्ष आरोपी से मोबाईल पर वार्ता की गई तो आरोपी ने बताया कि मैं बीसासर की तरफ जमीन पैमाईश हेतु गया हुआ हूं, आप बीसासर गांव में आकर बैठ जाओ, मैं 02-03 घंटे में बीसासर में आपसे मिलूंगा। मैं और परिवादी दोनो मोटरसाईकिल से गांव बीसासर पंहुचे और गांव बीसासर में चौराहे पर बैठकर आरोपी का इंतजार करने लगे। दोपहर करीब 3.00 बजे आरोपी का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया कि आप कंहा पर हो तो परिवादी ने बताया कि मैं बीसासर में ही हूं तो आरोपी ने परिवादी से कहा कि मैं भी चौराहे पर आ रहा हूं, आप वंही मिलो। इस पर मन कानि0 ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के ऑन करके रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सुपुर्द किया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के आस-पास मौजूद रहा। थोडी देर इंतजार करने के बाद आरोपी बीसासर चौराहे पर आया जंहा परिवादी व आरोपी के आपस में रिश्वती राशि मांग से सम्बंधित वार्ता हुई। बाद वार्ता के परिवादी मन कानि0 के पास उपस्थित आया और परिवादी द्वारा मुझ कानि0 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमारी कार्ड के पेश किया। मन कानि0 को परिवादी द्वारा पेश डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर स्वीच ऑफ कर सुरक्षित अभिरक्षा में अपने पास रखा गया। परिवादी ने मुझ कानि0 को बताया कि वार्ता के दौरान आरोपी ने मांग कर 5 हजार रूपये मुझसे लिये है तथा 18 हजार रूपये और देने हेतु कहा है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा गुलाबसिंह कानि0 व परिवादी मसराराम को कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की। दिनांक 30.05.2026 समय 07.00 एएम पर श्री गुलाब सिंह कानि. व परिवादी श्री मसराराम कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं श्री गुलाब सिंह कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर बन्द हालात में मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया एवं श्री गुलाब सिंह कानि व परिवादी श्री मसराराम ने बताया कि कल दिनांक 29.05.2026 को बाद कार्यवाही सेडवा से रवाना होकर देर रात्रि को बालोतरा पंहुचे रात्रि का समय अधिक हो जाने पर बालोतरा में रात्रि विश्राम किया। इसके पश्चात परिवादी श्री मसराराम ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं ओर गुलाब सिंह जी आपके बताये अनुसार रवाना होकर कस्बा सेडवा निजी आवास तहसील परिसर के पीछे पंहुचे। आरआई धनराज जी अपने निजी आवास पर उपस्थित नही मिले, मेरे द्वारा धनराज जी से मोबाईल पर वार्ता की गई तो धनराज जी ने बताया कि मैं बीसासर की तरफ जमीन पेमाईस हेतु गया हुआ हूं, आप बीसासर गांव में आकर बैठ जाओ, मैं 02-03 घंटे में बीसासर में मिलूंगा जिस मैं और गुलाब जी दोनो मोटरसाईकिल से गांव बीसासर पंहुचे। दोपहर बाद आरोपी का मेरे मोबाईल पर कॉल आया कि आप कंहा पर हो तो मैंने बताया कि मैं बीसासर में ही हूं तो धनराज जी ने मुझे कहा कि मैं भी चौराहे पर आ रहा हूं, आप वंही मिलो। गुलाब जी ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके मुझे दिया। जिस पर मैं वहा से रवाना होकर बीसासर चौराहे पर पहुचा जंहा मुझे धनराज जी आर.आई साहब मिले। मैंने धनराज जी से अपनी जमीन की नेखमबंदी के सम्बंध में वार्ता की तो धनराज जी ने कहा कि नेखमबंदी की ऐवज में पूर्व में आपको पैतीस का बोला था और आपने 32 देने की कहा था, मैने कहा कि 7 पहले दे चुका हूं, पांच हजार रूपये अभी और दे देता हूं और मैंने पांच हजार रूपये धनराज जी को दे दिये तो धनराज ने कहा आपको 20 और देने है तब मैंने कहा कि 18 दे दूंगा जिस पर धनराज सहमत हो गया। मैंने उनसे अपने चाचा के लडके का एक्सीडेन्ट हो जाने पर हास्पीटल में जाने पर दो-तीन दिन में रूपयो की व्यवस्था कर देने का कहा है। उक्त वार्ता इस डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उसके बाद मैं वहा से रवाना होकर गुलाब जी के पास पहुचा ओर डिजीटल वॉयस रिकार्डर इनको सुपुर्द किया। गुलाब जी ने रिकार्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया और वंहा से रवाना होकर देर रात बालोतरा पंहुचे और रात्रि विश्राम किया और अब आपके पास आये है। उक्त वार्ता की गुलाब सिंह कानि. ने भी पुष्टी की। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ऑन कर रिकार्डिग वार्ता को सुना तो परिवादी श्री मसराराम के कथन की ताईद होते हुऐ रिष्वत राषि मांग करना, पांच हजार रूपये आरोपी द्वारा प्राप्त करने की पुष्टि होना पाया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं मैमारी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने कब्जे में सुरक्षित रखा। तथा परिवादी श्री मसराराम को धनराज भू0अभि0 निरीक्षक क्षैत्र सारला को रिष्वत में दी जाने वाली रिष्वत राषि के 18,000 रूपयों की व्यवस्था कर दो दिवस में ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आने एवं गोपनियता का ध्यान रखने की हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 02.06.2026 समय 03.28 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिये गये 02 दिवस का समय पूर्ण होने पर परिवादी के मोबाईल पर कानि गुलाब सिंह से कॉल करवा कर सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि आरोपी अपने निजी कार्य से बाहर गया हुआ है, यंहा पर मौजूद नही है, वापस आने पर मैं आपसे सम्पर्क करता हूं। परिवादी श्री मसराराम को आरोपी के उपस्थित आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को

सूचित करने की हिदायत दी। दिनांक 04.06.2026 समय 04.17 पीएम पर परिवादी मसराराम ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल बताया कि आरआई धनराज ने कल दिनांक 05.06.2026 को रिष्वत राषि लेकर मिलने के लिये बुलाया है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बालोतरा पंहुच रात्रि बालोतरा करने व सुबह दिनांक 05.06.2026 को 05.30 एएम पर रिष्वत में दी जाने वाली राषि 18 हजार रूपये साथ लेकर एसीबी कार्यालय बालोतरा पंहुचने की हिदायत की। समय 04.30 पीएम पर कल दिनांक 05.06.2026 को आयोजित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवष्यकता होने से कार्यालय अधीक्षण अभियंता,सार्वजनिक निर्माण विभाग बालोतरा के नाम तहरीर मूर्तिब कर श्री मेहराराम कानि. नं. 41 को स्वंतत्र गवाहान को लाने हेतु रवाना किया गया। समय 05ः30 पी.एम.पर पूर्व का भेजा हुआ श्री मेहराराम कानि0 41 मय दो स्वंतत्र गहवान श्री छगनलाल व श्री नवीन परिहार के कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया। जिस पर मन अति. पुलिस अधीक्षक ने दोनो गवाह से अपना अपना परिचय पूछा तो अपना परिचय श्री छगन लाल पुत्र श्री गुलाराम उम्र 35 वर्ष जाति मेघवाल निवासी महादेव कॉलोनी वार्ड नं 24 नयाबास स्टेण्ड बालोतरा थाना बालोतरा जिला बालोतरा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बालोतरा व श्री नवीन परिहार पुत्र स्व0 श्री हरीसिंह परिहार उम्र 35 वर्ष जाति माली निवासी 17 बी शक्ति कॉलोनी गली नं0 02 रातानाडा जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला बालोतरा होना बताया। जिस पर उक्त दोनो को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए कल दिनांक 05.06.2026 को प्रातः 05.30 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर गोपनीयता की हिदायत कर रूखस्त किया गया। समय 06ः00पी.एम. पर कल दिनांक 05.06.2026 को प्रस्तावित ट्रैप कार्यवाही होने से कार्यालय हाजा के सम्पूर्ण स्टाफ को कल सुबह 05.15 एएम पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु निर्देषित किया गया। दिनांक 05.06.2026 समय 05ः30 ए.एम पर पूर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री मसराराम एवं दोनो पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री छगनलाल व श्री नवीन परिहार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। कार्यालय का पूर्व में पाबन्द शुदा सम्पूर्ण जाब्ता कार्यालय हाजा पर उपस्थित हैै। समय 05ः40 ए.एम. पर उपस्थित परिवादी श्री मसराराम का उपस्थित स्वतन्त्र गवाह श्री छगनलाल व श्री नवीन परिहार से आपस में परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित रिपोर्ट को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो गवाहन को पढाई तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबधी वार्ता जो कि डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त रिकार्डर को चालू कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य - मुख्य अषों को सुनाया गया। दोनों गवाहो ने परिवादी की रिपोर्ट पढ कर एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनकर परिवादी से पूछताछ करने के पश्चात् ब्यूरो द्वारा की जाने वाली टेªप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति दी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर दोनो गवाहन ने अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। समयाभाव के कारण रिष्वत राषि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट्स आइन्दा तैयार करने का निर्णय लिया गया। समय 06ः00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाह श्री छगनलाल व श्री नवीन परिहार की उपस्थिति में परिवादी श्री मसराराम को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि के 500-500 रूपये के 36 नोट कुल राषि 18,000 रूपये प्रस्तुत किये। परिवादी श्री मसराराम एवं स्वतंत्र गवाहान के रूबरू रिष्वत में दी जाने वाली उक्त 18,000 रूपये के 500-500 रूपय के 36 नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर इन नोटो पर फिनोफ्थलीन पाऊडर कार्यालय हाजा के श्री मेहराराम कानि 41 से लगवाकर उक्त कानि. से परिवादी के पहनी हुई पेन्ट के दांयी जेब में रिष्वत राषि रखवाई गई एवं परिवादी को आवष्यक हिदायत दी गई। फिनोफ्थलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट की क्रिया-प्रतिक्रिया प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं सुपुदर्गी नोट तथा दृष्टान्त फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की फर्द मूर्तिब कर विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। रिष्वत राषि लेन-देन के पश्चात अपने सिर पर दोनों हाथों को फेर कर या मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिस्ड कॉल/कॉल करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया तत्पष्चात समस्त टेªप दल के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। रिष्वत राषि पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले कानि. श्री मेहराराम 41 को हिदायत कि गई की वो ट्रैप पार्टी के साथ नहीं चलेगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी कार्यालय हाजा के श्री मगनाराम कानि नं. 392 से करवाई गई। समय 06ः30 ए.एम. पर टेªप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराह परिवादी श्री मसराराम, दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री छगनलाल व श्री नवीन परिहार, एवं कार्यालय स्टाफ श्री दीना राम मुआ नं. 03, शैलेन्द्र कानि0 381, गुलाब सिंह कानि 141, मगनाराम कानि0 392 हमराह टेªप बॉक्स, लेपटोप प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड के, परिवादी की लिखित रिपोर्ट, नये पैन ड्राईव, नये मैमोरी काड्र्स, कागज की रिम, सोडियम कार्बोनेट पाउडर व अन्य टेªप कार्यवाही से सम्बंधित आवष्यक सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरा आरजे 14 यूसी 8659 मय चालक शोभाराम कानि चालक 579 एवं एक प्राईवेट वाहन सभी एक साथ दोनो वाहनो से कस्बा सेडवा के लिऐ रवाना हुऐ। समय 10ः00 ए.एम.पर उपरोक्त फिकरा के रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान के दोनो वाहनों से कस्बा सेडवा पहुचें। परिवादी श्री मसराराम ने गोपनीय रूप से आरआई धनराज का पता किया तो वह अपने निजी आवास पर नही होना पाया गया। जिस

पर सम्पूर्ण ट्रेप दल दोनो वाहनो से पुनः कस्बा सेडवा से रवाना होकर धनाउ-चौहटन की तरफ रवाना हुये। समय 10ः20 ए.एम.पर सेडवा से रवाना हुआ सम्पूर्ण ट्रेप दल लगभग 10 किमी. दूर जाकर रूके एवं परिवादी मसराराम के मोबाईल फोन से आरआई धनराज के मोबाईल नम्बर पर फोन करवाया गया तो आरआई धनराज ने परिवादी मसराराम को बताया कि वह अपने निजी कार्य से बाहर गया हुआ है। शाम को 4-5 बजे तक सेडवा क्वाटर पर आउंगा,आप तब तक इंतजार करना। समय 10ः30 ए.एम.पर परिवादी एवं आरआई धनराज के मध्य हुई वार्ता से स्पष्ट है कि आरआई धनराज शाम को 4-5 बजे तक सेडवा आयेगा। गोपनीयता बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण ट्रेप दल दोनो वाहनों से रवाना होकर विरात्रा माता मन्दिर की तरफ रवाना होकर मय दोनो वाहन के विरात्रा माता मन्दिर पंहुचे और दर्शनार्थी बनकर अलग-अलग बिखर गये। समय 05ः00 पी.एम.पर आरआई धनराज ने शाम 4-5 बजे सेडवा पंहुचने बावत बताया था। अतः इस समय सम्पूर्ण ट्रेप दल मय दोनो वाहन के विरात्रा माता मन्दिर से कस्बा सेडवा की तरफ ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुये। समय 06ः15 पी.एम. पर उपरोक्त का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के तहसील परिसर सेडवा के पीछे स्थित आरोपी श्री धनराज आरआई के निजी आवासीय मकान के पास पंहुचा। जहां दोनो वाहनों को रोककर परिवादी श्री मसराराम से एक बार पुनः रिश्वती राशि लेन-देन के संबध में मुनासिब समझाईश कर आस-पास की लोकेशन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवश्यक ब्रीफिंग की गई। बाद श्री गुलाब सिंह कानि. 141 के माध्यम से परिवादी श्री मसराराम को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय इस्ट्रांलसुदा मेमोरी कॉर्ड के ऑन कर सुपुर्द करवाकर आरोपी श्री धनराज आरआई से रिश्वती राशि लेन-देन बाबत् सम्पर्क कर वार्ता करने हेतु रवाना आरोपित के निजी आवासीय मकान की तरफ किया गया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान वहीं आस-पास अपनी मौजूदगी छिपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। समय 07.25 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री छगनलाल व श्री नवीन परिहार एवं ब्यूरो दल के सदस्य श्री दीनाराम हैड कानि0 03, श्री गुलाब सिंह कानि0 141, श्री मगनाराम कानि0 392, श्री शैलेन्द्र कानि0 381 के सालारिया रोड पर गली में स्थित आरोपी धनराज के निजी आवास के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाकर सडक पर एवं वाहन में बैठे थे। एक स्वीफ्ट वीडीआई कार सालारिया रोड पर आरोपी के घर वाली गली के पास आकर रूकती है, उसमें से एक व्यक्ति उतरता है एवं परिवादी के पास जाकर परिवादी से सडक पर खडे होकर वार्ता करता हुआ दिखता है, इसी समय 07.25 पी.एम पर परिवादी श्री मसराराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा गुलाबसिंह कानि0 को मिसकॉल्ड कर किया जिससे लेन-देन की पुष्टि हुई। एकाएकी वह व्यक्ति जो परिवादी से वार्ता कर रहा था दौडकर अपनी स्वीफ्ट गाडी में बेठता है जिसे रोकने की परिवादी कोशिश करता है एवं गुथमगुथा होता है लेकिन वह व्यक्ति स्वीफ्ट वीडीआई गाडी में बैठकर भागने लगता है, परिवादी तब भी गाडी को रोकने की कोशिश करता है चारो और बिखरा हुआ जाब्ता स्वीफ्ट वीडीआई गाडी की तरफ दौडता है एवं गाडी को घेरने की कोशिश करता है, मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से निजी वाहन से स्वतंत्र मौतबिरान के साथ स्वीफ्ट वीडीआई गाडी के सामने आकर भागती हुई स्वीफ्ट गाडी को रोकने की कोशिश करता हूं, स्वीफ्ट गाडी के चालक ने गाडी को रोड के नीचे साईड में उतारकर भागने की कोषिष की लेकिन रेत की वजह से गाडी रूक गयी। तब तक जाब्ता ने गाडी को चारो और से घेर लिया एवं अंदर बैठे हुये आरोपी को पकड कर स्वीफ्ट वीडीआई गाडी से बाहर निकाला और मैने उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धनराज पुत्र स्व0 श्री पूराराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी बाछडाउ थाना सदर बाडमेर जिला बाडमेर हाल निवासी जाट कॉलोनी किसान केसरी स्कूल के पास बाडमेर हाल राजस्व निरीक्षक क्षैत्र सारला तहसील सेडवा जिला बाडमेर होना बताया । परिवादी मसराराम ने बताया कि यही धनराज आरआई है, इसने अभी मांग कर मेरे से 18,000 रूपये प्राप्त किये है जो इसने अपने पहनी हुई पेन्ट के बांयी जेब में रखे है। स्वीफ्ट गाडी की सीट पर चलाने वाला एक अन्य व्यक्ति बैठा था जिसे जाब्ते ने नीचे उतरवाया एवं उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम रूघनाथराम पुत्र श्री बालाराम जाति जाट उम्र 24 साल निवासी बाधा पुलिस थाना सेडवा जिला बाडमेर होना बताया। रूधनाथराम से पूछा कि तुमने गाडी को क्यो भगाया तो उसने कहा कि आरआई साहब ने कहा कि गाडी को भगाओ तो में गाडी को भगाने लगा। आरआई साहब ने किसी मामले में रिष्वत राषि ली थी, यह मेरी जानकारी मे नही था। मैं तो थोडी दूर स्थित दुकान पर गुटखा लेने गया था। मौके पर लोगो की भीड जमा हो गई है, मौका सेडवा से सालारिया जाने वाली रोड पर स्थित है, यंहा पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही होने से आरोपी को हमारे निजी वाहन में बिठाकर सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री धनराज भू0 अभि0 निरीक्षक के दोनो हाथ कलाईयों के उपर से ब्यूरो जाब्ता से पकड़वाया गया। हमराह जाब्ते परिवादी, स्वतंत्र गवाहन को निजी वाहन एवं सरकारी वाहन में हमराह लेकर पुलिस थाना सेडवा रवाना हुआ। समय 07ः40 पी.एम.पर उपरोक्त का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान पुलिस थाना सेडवा बाड़मेर पंहुचकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना हाजा मे उपस्थित थाना प्रभारी श्री पृथ्वीसिंह एएसआई को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना सेडवा पर करने की सहमति प्राप्त की गई। तत्पश्चात थाना हाजा के थानाधिकारी कक्ष मे पहुच कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा। आरोपी को तसल्ली से पूछकर उसका नाम पता पुनः पूछा गया तो आरोपी ने अपना नाम धनराज पुत्र स्व0 श्री पूराराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी बाछडाउ थाना सदर बाडमेर

जिला बाडमेर हाल निवासी जाट कॉलोनी किसान केसरी स्कूल के पास बाडमेर हाल राजस्व निरीक्षक क्षैत्र सारला तहसील सेडवा जिला बाडमेर होना बताया। आरोपी से पूछा कि आप परिवादी को जानते हो तो आरोपी ने परिवादी का नाम मसराराम होना बताया तथा बताया कि इनके खेत की नेखमबंदी करवाने हेतु यह एसडीएम साहब सेडवा व तहसीलदार सेडवा का आदेश लेकर मेरे पास आये थे, जब आरोपी से पूछा कि आपने परिवादी मसराराम से अभी-अभी कितनी राशि प्राप्त की है तो आरोपी धनराज ने बताया कि मेंने मसराराम से 18,000 रूपये अभी-अभी रिश्वत के लिये है जो मैने अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखे है, मेंने गिनकर रखे है, 500-500 रूपये के 36 नोट है। आरोपी से यह पूछने पर कि आपने मसराराम से इस कार्य हेतु पूर्व में भी रिश्वत राशि प्राप्त की है तो आरोपी धनराज ने स्वीकार करते हुये बताया कि इससे पूर्व एक बार 7,000 रूपये एवं एक बार 5,000 रू0 मैंने मसराराम से इस कार्य हेतु कुछ दिन पहले रिश्वत के रूप में लिये है जो मैंने खर्च कर दिये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में पानी की दो बोतल मंगवाकर दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर दोनो गिलास मे बोतल में से पीने का साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी कि श्री धनराज भू0 अभि0 निरीक्षक के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्के गुलाबी धोवन को आधा-आधा दो कांच की साफ शिशियो मे भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया गया। उक्त दूसरी प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल मे आरोपी कि श्री धनराज भू0 अभि0 निरीक्षक के बांये हाथ की अंगूलियों व अंगुठे को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त हल्का गुलाबी धोवन को भी दो साफ कांच की शिशियो मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री छगन लाल. को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि 18,000/- रूपये देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री नवीन परिहार द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एंव हाथ धुलाई आरोपी श्री धनराज राजस्व निरीक्षक सारला तहसील सेडवा मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10ः30 पी.एम. पर आरोपी धनराज जिस स्वीफ्ट वीडीआई कार में आया था, वो कार हमराह जाब्ते के द्वारा पलिस थाना सेडवा पर लाकर सुरक्षित खडी की है, उसकी तलाशी रूबरू मोतबिरान के ली गई। वाहन स्वीफ्ट वीडीआई नबर जीजे31 बीए 3573 है, वाहन में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या राशि होना नही पाया गया। समय 10ः45 पी.एम. पर आरोपी धनराज का सर्विस रिकॉर्ड प्राप्त करने हेतु तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर को तहरीर जारी की गई। भोजन का समय हो जाने से परिवादी, आरोपी, स्वतंत्र गवाहन एवं हमराह जाब्ते को भोजन करवाया गया। समय 11ः45 पी.एम. पर आरोपी धनराज का सर्विस रिकॉर्ड कार्यालय तहसीलदार सेडवा जिला बाडमरे से प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 06.06.2026 समय 00.15 ए.एम. पर प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री धनराज राजस्व निरीक्षक सारला तहसील सेडवा के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री पूराराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी बाछडाउ थाना सदर बाडमेर जिला बाडमेर हाल निवासी जाट कॉलोनी किसान केसरी स्कूल के पास बाडमेर हाल राजस्व निरीक्षक क्षैत्र सारला तहसील सेडवा जिला बाडमेर को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार सगे बडे पिताजी श्री भेराराम पुत्र श्री सोनाराम जाति जाट निवासी बाछडाउ थाना सदर बाडमेर जिला बाडमेर को दी गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो भी हस्ब कायदा पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 00.50 ए.एम. पर प्रकरण हाजा में घटनास्थल निरीक्षण तथा आरोपित के किराये के आवासीय मकान की खाना तलाशी की जानी हैं, साथ ही प्रकरण में रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धुलाई कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं, लिहाजा अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर मन् कैलाष दान जुगतावत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, परिवादी श्री मसराराम, स्वतन्त्र गवाह श्री छगनलाल वरिष्ठ सहायक व श्री नवीन परिहार वरिष्ठ सहायक, आरोपी श्री धनराज राजस्व निरीक्षक को हमराह लेकर मय ब्यूरो जाब्ता स्टाफ श्री दीना राम मुआ नं. 03, शैलेन्द्र कानि0 381, गुलाब सिंह कानि 14०, मगनाराम कानि0 493 मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर, ट्रेप

बॉक्स, लेपटॉप, मालखाना आईटम्स सील्डयुक्त बरामदा रिष्वती राषि 18000 रू., धोवन की शीषियां मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी-1, पी-2, पेन्ट पैकेट मार्क पी, जामा तलाषी में लिया गया आरोपी का मोबाईल आदि के जरिये सरकारी वाहन एंव वाहन चालक श्री शोभाराम कानि0 579 एवं निजी वाहन के घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण करने, आरोपित के किराये के रहवासीय मकान की खाना तलाषी करने हेतु रवाना सेडवा-सालारिया रोड की तरफ हुआ। समय 01ः00 ए.एम. पर उपरोक्त का रवाना सुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के घटनास्थल सालारिया-सेडवा रोड पंहुचा जंहा दोनों स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी श्री मसराराम की निशांदेही में घटना/बरामदगीस्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा नजरी एंव हालात मौका मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 01ः:30 ए.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री छगनलाल वरिष्ठ सहायक व श्री नवीन परिहार वरिष्ठ सहायक तथा आरोपित श्री धनराज की मौजूदगी में आरोपित के किराये के आवसीय मकान की खाना तलाशी ली जाकर खाना तलाशी कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द खाना तलाशी मुर्तिब कर इस पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। कोई भी वस्तु कब्जा एसीबी नही ली गई। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान आरोपित श्री धनराज राजस्व निरीक्षक ट्रेप कार्यवाही के दौरान जब्तषुदा आर्टीकल व अन्य साजोसामान के साथ रवाना एसीबी कार्यालय बालोतरा को हुआ। समय 05.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान एसीबी कार्यालय बालोतरा पंहुचा। दस्तियाब सुदा आरोपी श्री धनराज राजस्व निरीक्षक की निगरानी एंव मालखाना आईटम्स को जमा मालखाना करवाने हेतु श्री दीनाराम हैड कानि. मय जाब्ता को निर्देशित किया गया। समय 07.00 ए.एम. पर परिवादी श्री मसराराम एंव आरोपी धनराज राजस्व निरीक्षक सारला तहसील सेडवा के मध्य दिनांक 29.05.2026 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग हैं। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब करनी शेष होने से इस समय परिवादी श्री मसराराम व दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री छगनलाल वरिष्ठ सहायक व श्री नवीन परिहार वरिष्ठ सहायक की उपस्थिति में फर्द ट्रांसक्रिप्टस रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन कार्यालय के श्री शैलेन्द्र कानि0 381 द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री मसराराम के सुन-सुन कर शब्द-ब शब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मंाग सत्यापन वार्तालाप कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। इस वार्तालाप की कार्यालय लेपटॉप के माध्यम से एक मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी व एक पैनड्राईव तैयार कर मेमोरी कार्ड सेनडिस्क 16 जीबी को मूल मानते हुये एक सफेद कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "M-1" अंकित किया गया, एवं पैनड्राईव को डब मानते हुये खुला रखा गया। रिकॉडिंग वार्ता की हैज वैल्यु निकाली गई। आरोपी श्री धनराज व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री मसराराम द्वारा की गई। समय 11.00 ए.एम. पर प्रकरण में रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्टस तैयार करनी शेष हैं। अतः परिवादी श्री मसराराम तथा दोनों स्वतन्त्र गवाह श्री छगनलाल वरिष्ठ सहायक व श्री नवीन परिहार वरिष्ठ सहायक की मौजूदगी में फर्द ट्रांसक्रिप्टस रिश्वती राशि लेन-देन मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्यालय के श्री शैलेन्द्र कानि0 381 द्वारा डिजीटल वॉईस रिकार्डर में इंस्ट्रॉल मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB में रिकॉर्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री मसराराम के सुन-सुन कर शब्द-ब शब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप कार्यालय लेपटॉप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से एक पेनड्राईव तैयार की गई। दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू ट्रेप कार्यवाही में वक्त लेन-देन वार्ता की रिकॉर्डिंग हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मेमोरी कॉर्ड SANDISK 16 GB जो मूल ही डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से सुरक्षित हालात में निकालकर मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में रखकर लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को शील्ड मोहर कर फर्द जब्ती मेमोरी कार्ड मुर्तिब की गई। उक्त फर्द व कपड़े की थैली पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क M-2 अंकित किया गया। रिकॉडिंग वार्ता की हैज वैल्यु निकाली गई। आरोपी श्री धनराज व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री मसराराम द्वारा की गई। इसी दौरान समय 01.00 पीएम पर श्री गुलाब सिंह कानि0 140, श्री मेहराराम कानि0 41 व श्री शोभाराम कानि0 चालक 579 मय सरकारी वाहन के मुल्जिम धनराज का मेडीकल करवाने हेतु राजकीय चिकित्सालय बालोतरा रवाना किया गया जो समय 01.30 पीएम पर मुल्जिम धनराज का मेडीकल करवाकर उपस्थित कार्यालय आये। मेडीकल रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। समय 02.00 पी.एम.पर उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान करवाई गई वीडियोग्राफी की एक पेनड्राईव तैयार करवाई गई जो खुली हालत में रखी गयी जिन पर प्रकरण का विवरण अंकित किया गया। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री धनराज भू0 अभि0 निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री मसराराम से उसकी जमीन की नेखमबंदी करने के जायज काम के ऐवज में 32,000 रू0 की रिश्वत राशि के रूप में मांग की। परिवादी ने 7,000 रू0 पूर्व मे ही आरोपी श्री धनराज आरआई को दे दिये। दिनांक 29.05.2026 को मांग सत्यापन के दौरान 5,000 रू0 परिवादी से मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त की गई तथा शेष रिश्वत राशि 18,000/- रुपये दिनांक 05.06.2026 को वक्त 07.25 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान मांग कर प्राप्त करना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया

जाना बखूबी प्रमाणित है। अतः श्री धनराज पुत्र स्व0 श्री पूराराम जाति जाट उम्र 33 साल निवासी बाछडाउ थाना सदर बाडमेर जिला बाडमेर हाल निवासी जाट कॉलोनी किसान केसरी स्कूल के पास बाडमेर हाल राजस्व निरीक्षक क्षैत्र सारला तहसील सेडवा जिला बाडमेर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। कैलाश दान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश दान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धनराज पुत्र स्व. श्री पूराराम, जाति जाट, उम्र 33 साल, निवासी बाछडाउ, थाना सदर बाडमेर, जिला बाडमेर हाल निवासी जाट कॉलोनी, किसान केसरी स्कूल के पास, बाडमेर हाल राजस्व निरीक्षक, क्षैत्र सारला, तहसील सेडवा, जिला बाडमेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 132 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 921-24 दिनांक 08.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- जिला कलक्टर, बाडमेर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बालोतरा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NARENDER KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 08/06/2026 15:14:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1993				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)